आदेश की कम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी तारीख के साथ

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,अरवल

बिहार भूमि विवाद निराकरण वाद संख्या 69 / 13–14

सुबालाल सिंह वनाम ललन डोम एवं अन्य

आदेश

17.04.15

आवेदक सुबालाल सिंह,पिता स्व० जनार्दन सिह,साकिन–धरनई टोला–धरनई,थाना –करपी, जिला–अरवल ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से वाद दायर कर विवादित भूमि पर से बेदखली से रोकने का अनुरोध किया है। विवादित भूमि जो मौजा–करपी, थाना वो अंचल–करपी, थाना नं०–201, जिला–अरवल में अवस्थित निम्न है:–

खाता	प्लॉट	रकवा	चौहद्दी
437 / 1195	7548 / 5131	7.5 डी०	उतर–राजेन्द्र साव, दक्षिण–ललन डोम वगैरह रास्त वदहु, पूरब–लाल बहादुर सिंह, पश्चिम–आनन्दी साव

वाद की प्रविष्टी की गई। विपक्षीगण की उपस्थिति हेतु प्राधिकार से नोटिस निर्गत किया गया। विपक्षीगण उपस्थित हुए और वाद की सुनवाई की गई।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:–

(1) विवादित भूमि आवेदक को दिनांक 14.03.2011 को बबन डोम उर्फ बेलागन डोम से खरीदगी प्राप्त है।

(2) प्रश्नगत् भूमि में पूर्व में विक्रेता का कब्जा था और विक्रेता के द्वारा चहारदीवारी भी बनाया गया।

(3) प्रश्नगत् भूमि पर विपक्षीगण आवेदक को बेदखल करने का प्रयास करते है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में माँगे गये अनुतोष को स्वीकृत करने का अनुरोध आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने किया है।

विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:–

(1) प्रश्नगत् भूमि बिहार सरकार की भूमि है तथा उक्त भूमि विपक्षी ललन डोम के नाना को बिहार सरकार द्वारा बंदोबस्त किया गया था। लेकिन धर में आग लग जाने के कारण बंदोबस्ती कागजात जल गया।

(2) प्रथम पक्ष द्वारा अवैध एवं अनाधिकृत रूप से बिहार सरकार की भूमि का तथाकथित केवाला कराये जबकि बिक्रेता या क्रेता किसी का आज तक कभी भी

भूमि पर कब्जा कभी न तो था और न है।

(3) प्रश्नगत् भूमि को बबन डोम जो स्वास्थ्य विभाग में नौकरी करते थे, उनके द्वारा बिक्री किया गया है जबकि बिहार सरकार के भूमि को बिक्री करने का न तो अधिकार बबन डोम को था और न वादी को उक्त भूमि खरीदने का अधिकार था।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में वाद खारिज करने योग्य है।

विवादित भूमि की जॉच अंचल अधिकारी, करपी से करायी गयी। अंचल अधिकारी, करपी ने प्रतिवेदित किया है कि विवादित भूमि पर वर्तमान में कब्जा प्रथम पक्ष का नही है। जिला अभिलेखागार से विवादित भूमि की जॉच करायी गयी। विवादित भूमि खाता 437 खेसरा 5131 रकवा 2 एकड 8 डी० बकास्त मोकरीदार है और मालिक का नाम मो० भुवनेश्वरी कुँवर उर्फ क्यामुद्दीन मुन्दरजे खेवट नं० 1 है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना, अंचल अधिकारी, करपी का स्थल जॉच प्रतिवेदन एवं वाद में पोषित कागजातो का अवलोकन किया। आवेदक ने विवादित भूमि पर दावा दिनांक 14.03.2011 के केवाला के आधार पर किया है जो उन्हें बबन डोम से प्राप्त है। आवेदक के द्वारा न तो अपने नाम से निर्गत राजस्व रसीद और न तो भू–बिकेता के नाम से निर्गत राजस्व रसीद की प्रति दाखिल की गई। विवादित भूमि खतियान में बकास्त मोकरीदार मालिक का नाम भुवनेश्वरी कुँवर उर्फ क्यामुद्दीन मुन्दरजे खेवट नं० 1 दर्ज है। आवेदक के द्वारा यह भी नहीं बताया गया कि विवादित भूमि उनके भू–विकेता को कैसे प्राप्त है। विपक्षी का कहना है कि विवादित भूमि उनके नाना को सरकार के द्वारा बंदोबस्त भूमि है परन्तु धर में आग लग जाने के कारण परचा जल गया और उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में वाद को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

17.04

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

17.04

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।